न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 40/2025

वादी :-

1. अमरसिह राजपुरोहित पुत्र स्व. भगवान सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बरना, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज. हालनिवास कोयम्बटूर तमिलनाडू

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः- वादी - श्री गजेन्द्रसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1- सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः-** 04/08/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी उपरोक्त पते का मूल निवासी है तथा भारतीय नागरिक है। ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 571/6 रकबा 0.5501 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 773 रकबा 1.1083 हैक्टेयर किस्म बारानी ए, कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.6584 हैक्टेयर आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 558 पर वादी के पिता स्व. भगवानसिंह के नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को वाद के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 571/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 605/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.0567 हैक्टेयर आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 543 पर वादी के पिता स्व. भगवानसिंह व अन्य दर्ज सहखातेदारान के नाम दर्ज है। जिसमें वादी के पिता का 1/14 व० हिस्सा निहित व दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को वाद के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि बी से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के सम्बंध में वादी के दादा श्री प्रेमसिंह का फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत करते हल्का पटवारी द्वारा वादी के पिता को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही वादी के पिता के सरकारी दस्तावेज की जाँच की गयी तथा वादग्रस्त कृषि भूमि ए में वादी के पिता का सही नाम भगवानसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह के स्थान पर भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह दर्ज कर दिया गया तथा वादग्रस्त कृषि भूमि बी में वादी के पिता का सही नाम भगवानसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी के पिता का सही नाम भगवान सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह है, जिसके सम्बंध में वादी के पिता के सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, जन आधारकार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिया वाद पत्र के साथ संलग्न है, जिसमें वादी के पिता का सही नाम भगवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह दर्ज है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि ए के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के पिता का दर्ज गलत नाम भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह व वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का दर्ज गलत नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम के स्थान पर वादी के पिता के सरकारी दस्तावेज अनुसार दर्ज नाम भगवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह शुद्ध/दुरुस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी के पिता का वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में दर्ज गलत नाम भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह व भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम की जानकारी तब हुई जब वादी के पिता का देहान्त दिनांक 03.03.2025 को हो जाने पर वादी द्वारा अपने पिता भगवानसिंह का फौतेदगी म्यूटेशन वादी व भगवानसिंह जी के अन्य विधिक वारिसान के नाम दर्ज करवाने हेतु

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

ऑनलाईन जमाबन्दी की नकले दिनांक 19.03.2025 को प्राप्त की तथा फौतेदगी म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की प्रतियों व वादी के पिता व वादी के सरकारी दस्तावेज देने पर हल्का पटवारी द्वारा वादी को बताया गया कि ‘आपके पिता का सरकारी दस्तावेज में नाम भगवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह दर्ज है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि ए के राजस्व रेकर्ड में आपके पिता का नाम भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह व वादग्रस्त कृषि भूमि बी के राजस्व रेकर्ड में आपके पिता का नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम दर्ज है, जिसकी शुद्धि करवाओं तभी आपके पिता जी का फौतेदगी म्यूटेशन भरा जा सकेगा। जिस पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी के पिता का गलत नाम भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह व भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम के स्थान पर वादी के पिता के सरकारी दस्तावेज अनुसार वादी के पिता का सही नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिंह दर्ज/दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादी के निवेदन को यह कहते हुए मानने से इन्कार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम नही है अपितु माननीय न्यायालय सक्षम है। इसलिए यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी को वादकारण दिनांक 20.03.2025 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने वादी के पिता का वादग्रस्त कृषि भूमि ए के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह के स्थान पर वादी के पिता का सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम भगवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह व वादी के पिता का वादग्रस्त कृषि भूमि बी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम के स्थान पर वादी के पिता का सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम भगवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह दर्ज करने से इन्कार कर दिया, जिस पर वादकारण बमुकाम् ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो सतत् जारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि बी के अन्य सहखातेदारान को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया गया है, क्योकि प्रस्तुत वाद से अन्य सहखातेदारान के हिस्से प्रभावित नही होंगे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्त में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 571/6 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा संख्या 773 रकबा 1.1083 हैक्टेयर, कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.6584 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के पिता का नाम भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह के स्थान पर वादी के पिता के सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिंह की घोषित की जाकर उपरोक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने का आदेश जारी फरमावे। ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 571/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 605/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.0567 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के पिता का नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम के स्थान पर वादी के पिता के सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिंह की घोषित की जाकर उपरोक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने का आदेश जारी फरमावे ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरना की वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा सं. 571/6 तथा खसरा सं. 773 में वादी के पिता का नाम भगवान सिंह नहीं होकर भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह दर्ज है। ग्राम बरना के खसरा सं. 571/1 तथा खसरा सं. 605/1 में वादी के पिता/दादा का नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम दर्ज है। बिन्दु सं. 2 व 3 में खसरा सं. 571 तथा खसरा सं. 605 मूल में जरिये नामान्तरकरण सं. 768 में पेमाराम के फौतेदगी से अन्य वारिसान के साथ भगवानसिंह पुत्र पेमाराम तथा खसरा सं. 773 में नामान्तरकरण 443 में पेमजी की विरासत से अन्य वारिसान के साथ भगसिंह पुत्र पेम जी के नाम दर्ज हुए है। पटवारी हल्का बरना द्वारा प्रस्तुत जांच रिर्पोट दिनांक 05.05.2025 में वादी के पिता का नाम (राजस्व रेकर्ड के अलावा) सरकारी दस्तावेजों में भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिंह दर्ज होना पाया है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अतः वाद वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह तथा भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम के बजाय भगवानसिह पुत्र प्रेमसिंह दर्ज किया जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र अमरसिंह राजपुरोहित पुत्र भगवानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बरना पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 वादग्रस्त कृषि भूमि ए की वर्तमान जमाबंदी, प्रदर्श 2 वादग्रस्त कृषि भूमि बी की वर्तमान जमाबंदी, प्रदर्श 3 वादी के पिता आधारकार्ड, प्रदर्श 4 वादी के पिता का पैनकार्ड, प्रदर्श 5 वादी के पिता का राशनकार्ड आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिंह, प्रदर्श 2 जनआधार कार्ड उषा कंवर पत्नी भगवानसिंह, प्रदर्श 3 पैनकार्ड भगवान सिंह पुत्र प्रेमसिंह, प्रदर्श 4 परिवार राशन कार्ड भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिह, प्रदर्श 5 पहचान पत्र भगवान सिंह पुत्र प्रेमसिंह, प्रदर्श 6 मृत्यु प्रमाण पत्र भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिंह, प्रदर्श 7 आधार कार्ड अमरसिंह पुत्र भगवानसिंह आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के पिता का नाम सरकारी दस्तावेजात में भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिह दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह व भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी राजस्व रेकर्ड में अपने पिता का नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिह की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह व भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिह किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बरना के खसरा नंबर 571/6 रकबा 0.5501 हैक्टयर, खसरा नंबर 773 रकबा 1.1083 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह के स्थान पर भगवानसिह पुत्र प्रेमसिंह की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बरना तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 571/1 रकबा 0.0243 हैक्टयर, खसरा नंबर 605/1 रकबा 0.0324 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/08/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

प्रतिवादी :-
सरकार

वादी :- **बनाम**
अमरसिंह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रेकर्ड दुरूस्ती/शुद्धि हेतु

राजस्व वाद संख्या :- 40/2025

दिनांक :- 21/04/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गजेन्द्रसिह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बरना के खसरा नंबर 571/6 रकबा 0.5501 हैक्टयर, खसरा नंबर 773 रकबा 1.1083 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम भगसिंह पुत्र प्रेमसिंह के स्थान पर भगवानसिह पुत्र प्रेमसिंह की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बरना तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 571/1 रकबा 0.0243 हैक्टयर, खसरा नंबर 605/1 रकबा 0.0324 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमाराम के स्थाान पर भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा